तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या– 02/2019 अंतर्गत धारा–73(2) नगर पालिका अधिनियम
(GCMS No. 2019/00058)

अनवानः

रामदेव पुत्र शिवनारायण तंवर निवासी श्रीकरणी मन्दिर RTDC के पास, भूखण्ड संख्या 24, देशनोक, जिला बीकानेर।

बनाम

1. नगर पालिका देशनोक जरिये अध्यक्ष, नगर पालिका देशनोक, बीकानेर।
2. नगर पालिका देशनोक जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका देशनोक।

10.08.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट श्री वीरेन्द्र आचार्य एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री गोपाल दास आचार्य उपस्थित। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र अभिभाषक अपीलांट ने नगर पालिका मण्डल देशनोक द्वारा जारी क्रमांक नपादे/2019–20/48 दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा प्रार्थी को लीज की राशि जमा कराने बाबत लिखा गया है।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)() नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उपधारा (2) के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पति के अन्तरण एवं संविदा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है। नगर पालिका देशनोक द्वारा जारी पत्र दिनांक 10.04.2019 जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 के अधीन संधारण योग्य नहीं होने के कारण एडमिशन स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

E. Nirnay 2020